न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु० नं० 35 / 18 तारीख दर्ज 12-3-18

उनवान – राजेन्द्र बनाम गोरधनसिंह राजपूत गहरौली

दावा बाबत डिविजन आफ होल्डिंग अन्तर्गत धारा 53

वादी की ओर से श्रीरामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने दावा बाबत डिविजन आफ होल्डिंग अन्तर्गत धारा 53 के तहत पेश किया। जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को जरिये रजिस्टर्ड AD व सम्मन से तलब कर दिनांक 27-3-18 को पेश हो।

840-850 / 12-3-18

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

27-3-18

वादी वकील उप० / प्रतिवादी नं. 7 व 8 की ओर से श्री [illegible] कौशिक AdV. ने वकालतनामा पेश किया / प्रतिवादी नं. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हो अतः विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है प्रतिवादी नं. 10 का [illegible] [illegible] कि [illegible] दिनांक 9-4-18 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:02:34 IST
Reason: SelfAttested

9-4-18

वकील [illegible] प्रतिवादी नं. 7 व 8 की ओर से उनके वकील ने [illegible] किया / इसकी प्रति वादी वकील को [illegible] गई / प्रतिवादी नं. 9 की ओर से उनके [illegible] मित्तल ने वकालतनामा [illegible] एक तरफा कार्यवाही पेश की / वादी वकील [illegible] आपत्ति दर्ज की / P.O. SDO चुनाव की मीटिंग में करौली पधारे हैं / आईन्दा दि० 19-4-18 को पेश हो।

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

राजेन्द्र प्रसाद स्वामी पुत्र बाबूलाल स्वामी जाति ब्राहमण निवासी शंकरपुर डोरका तहसील टोडाभीम जिला करौली

(वादी)

बनाम

1. गोरधन सिंह पुत्र सुल्तानसिंह
2. कमल सिह पुत्र सुल्तानसिंह
3. कैलाश सिंह पुत्र सुल्तानसिंह
4. सम्पत सिंह पुत्र सुल्तानसिंह
5. भगवानसिंह पुत्र सुल्तान सिंह
   समस्त जातियान राजपूत निवासीयान गहरौली तहसील टोडाभीम जिला करौली।
6. गजेन्द्रसिंह पुत्र वीरेन्द्रसिंह राजपूत निवासी गढराजाजी टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली।
7. ध्यानसिंह पुत्र बद्रीप्रसाद जाति जोगी निवासी भैसाकला तहसील टोडाभीम जिला करौली।
8. सत्यनारायण पुत्र विशम्भर दयाल गोयल जाति महाजन निवासी घाटा बालाजी तहसील सिकराय जिला दौसा।
9. सत्यवती देवी पत्नि श्रवणलाल जाति ब्राहमण निवासी मेहन्दीपुर (गहरौली) तहसील टोडाभीम जिला करौली।
10. दीनदयाल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौनसिंटी हाल निवासी निवासी मोहन नगर हिण्डौन हाल निवासी दानछान तहहरी आबू रोड अनुभव अपार्टमेन्ट मकान न0 690 थर्ड फलोर आबू रोड जिला सिरोही।
11. रजनेश देवी पत्नि श्यामसिंह राजपूत निवासी पाडला जागीर तहसील टोडाभीम जिला करौली।
12. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

मु0न0 35/2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:02:34 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट [illegible] श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश मिनकानि[illegible] डिक्री दी जाती है। कि [illegible] 134 रकवा 1.30 है0 मे प्रतिवादी न0 6 [illegible] अतः [illegible] की [illegible] 134/2 रकवा 0.0334 है0 का, तथा प्रतिवादी न0 10 दीनदयाल को [illegible] 134/1 रकवा 0.0167 है0 [illegible] मुताबिक नक्शा ट्रेस खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा [illegible] निर्णय के साथ सलग्न रहेगा।

निज.................मुबलिंग.....................बाबत....................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह...............फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 19.08.2020 को जारी की गई।

19/8/2020

दस्तखत.....................

ओहदा.....................

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0:–35/19

तारीख रजू:– 05.04.2019

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

राजेन्द्र प्रसाद स्वामी पुत्र बाबूलाल स्वामी जाति ब्राहमण निवासी शंकरपुर डोरका सील टोडाभीम जिला करौली

(वादी)

बनाम

1. गोरधन सिंह पुत्र सुल्तानसिंह
2. कमल सिह पुत्र सुल्तानसिंह
3. कैलाश सिंह पुत्र सुल्तानसिंह
4. सम्पत सिंह पुत्र सुल्तानसिंह
5. भगवानसिंह पुत्र सुल्तान सिंह
   समस्त जातियान राजपूत निवासीयान गहरौली तहसील टोडाभीम जिला करौली।
6. गजेन्द्रसिंह पुत्र वीरेन्द्रसिंह राजपूत निवासी गढराजाजी टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करौली।
7. ध्यानसिंह पुत्र बद्रीप्रसाद जाति जोगी निवासी भैसाकला तहसील टोडाभीम जिला करौली।
8. सत्यनारायण पुत्र विशम्भर दयाल गोयल जाति महाजन निवासी घाटा बालाजी तहसील सिकराय जिला दौसा।
9. सत्यवती देवी पत्नि श्रवणलाल जाति ब्राहमण निवासी मेहन्दीपुर (गहरौली) तहसील टोडाभीम जिला करौली।
10. दीनदयाल पुत्र बद्रीप्रसाद जाति महाजन निवासी मोहन नगर हिण्डौनसिटी हाल निवासी निवासी मोहन नगर हिण्डौन हाल निवासी दानछान तहहरी आबू रोड अनुभव अपार्टमेन्ट मकान न0 690 थर्ड फलोर आबू रोड जिला सिरोही।
11. रजनेश देवी पत्नि श्यामसिंह राजपूत निवासी पाडला जागीर तहसील टोडाभीम जिला करौली।
12. तहसीलदार टोडाभीम [illegible]

(प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:02:34 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] डिक्री [illegible] फ होल्डिंग अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति: [illegible] रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (एडवोकेट) वादी

[illegible] सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी 6 व 10)

निर्णय दिनांक 19.08.2020

प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गहरौली स्थित राजी ख0न0 134 रकवा 1.30 है0 मे वादी राजेन्द्र प्रसाद स्वामी द्वारा अपने हिस्सा 5/19500 की खातेदारी का अलग हिस्सा कायम कराने तकासमा का दावा प्रस्तुत किया । यह दावा दिनांक 23.01.2020 को निर्णित/डिक्री हो चुका है। प्रतिवादी गजेन्द्र सिह पुत्र रेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी राजाजी का गढ टोडाभीम एवं प्रतिवादी दीनदयाल पुत्र बद्री ाद जाति महाजन निवासी मोहननगर हिण्डौन हाल निवासी दानछान तहहरी आबू रोड

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

अपार्टमेन्ट मकान न0 693 थर्ड फलोर आबू रोड सिरोही ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश
म 13, आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जा0दी0 इस आशय से पेश किया कि
य न्यायालय मे मुकदमा उनवानी राजेन्द्र प्रसाद स्वामी बनाम गोरधन सिंह वगै0 मु0न0
2018 दिनांक 12.03.2018 प्रस्तुत हुआ है। जो दिनांक 19.4.18 को प्राथमिक डिकी एवं
2018 को फाईनल डिकी हो चुका है। किन्तु हम प्रार्थीयान दावे के प्रतिवादी न0 6 व 10
ूचना नही हुई इसलिये डिकी निरस्त फरमाकर प्रार्थीयान को सुनवाई का अवसर प्रदान
या जावे।

प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर दावा पुनः दर्ज कर प्रतिवादगण
जरिये सम्मन तलब किया गया। दावे के वादी राजेन्द्र प्रसाद स्वामी की और से श्री
रोसी गुप्ता एडवोकेट उपस्थित हुये। प्रतिवादी न0 6 व 10 की और से श्री सुरेश चन्द
उपस्थित रहे है। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक पक्षीय
वाही की गई। वादी वकील ने कथन किया कि जबाब पेश करने व तनकीयात कायम
की आवश्यकता नही है। प्रकरण मे अन्य खातेदारान का तकास्मा पूर्व मे ही हो रहा है।
ादी न0 6 व 10 का हिस्सा अलग–अलग कायम करने हेतु दावा प्राथमिक डिकी कर
जावे काई आपत्ति नही है। प्रतिवादी न0 6 व 10 के वकील ने वादी वकील के कथन
समर्थन करते हुये कथन किया कि जिन खातेदारो का पूर्व मे तकास्मा हो चुका है उसके
ावा मेरे पक्षकार प्रतिवादी न0 6 व 10 अलग खाता कायम कराने हेतु दावा प्राथमिक डिकी
दिया जावे। वकील उभयपक्ष की सहमति पर यह दावा दिनांक 23.01.2020 को प्राथमिक
ी कर तहसीलदार टोडाभीम को ग्राम गहरौली की आराजी ख0न0 134 रकवा 1.30 है0 मे
वादी न0 6 गजेन्द्र सिंह का हिस्सा 167/6500 एवं प्रतिवादी न0 10 दीनदयाल का
सा 167/1300 का अलग–अलग खाता कायम कर बटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत
ने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार टोडाभीम की और से प्रस्तुत बटवारा स्कीम व नक्शा ट्रेस का
लोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम व नक्शा ट्रेस दावा फाईनल डिकी करने का कथन
या। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुये प्रस्तुत हुई बटवारा स्कीमो का
लोकन किया तथा मुताबिक बटवारा स्कीम नक्शा ट्रेस प्रतिवादी न0 6 गजेन्द्र सिह
तेवादी न0 10 दीनदयाल का हिस्सा नक्शा ट्रेस अनुसार प्रथक–प्रथक राजस्व रिकार्ड मे
ल करने हेतु प्रतिदावा फाईनल डिकी किया जाता है।

अतः ग्राम गहरौली की आराजी ख0न0 134 रकवा 1.30 है0 मे प्रतिवादी न0 6
... रकवा 0.0334 है0 का, तथा प्रतिवादी न0 10 दीनदयाल को
... मुताबिक नक्शा ट्रेस खातेदार काश्तकार घोषित किया
0न0 134/1 रकवा ... के ... लग्न रहेगा। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दि... 08.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया
या।

19/8/2020
(दुर्गा प्रसाद मीना)
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
टोडाभीम जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 12:02:34 IST
Reason: SelfAttested